"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 103] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 मई 2005—ज्येष्ठ 6, शक 1927

गृह विभाग

(सी-अनुभाग)

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मई 2005

अधिसूचना

क्रमांक -एफ 4-177/दो/गृह-सी/2003.—पुलिस अधिनियम, 1861 (क्र. 5 सन् 1861) की धारा 46 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ पुलिस रेग्युलेशन्स में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त रेग्युलेशन में,—

नियम 30 और 31 का लोप किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 मई 2005

क्रमांक -एफ 4-177/दो/गृह-सी/2003.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक-एफ 4-177/दो/गृह-सी/2003, दिनांक 26-5-2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सुब्रमणियम, सचिव.

Raipur, the 26th May 2005

NOTIFICATION

No. F4-177/Two/Home-C/2003.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 46 of the Police Act, 1861 (No. 5 of 1861), the State Government hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Police regulations, namely :—

AMENDMENT

In the said Regulation,—

The Rule 30 and 31 shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. SUBRAMANIAM, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.